

हरिजनसेवक

दो आना

(संस्थापक : महात्मा गांधी)

सम्पादक : मगतभाभी प्रभुदास. देसायी

भाग १७

अंक ३३

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभाभी देसायी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-९

अहमदाबाद, शनिवार, ता० १७ अक्टूबर, १९५३

वार्षिक मूल्य देशमें रु० ६
विदेशमें रु० ८; शि० १४

सत्याग्रह आश्रमका स्मारक

पाठक शायद जानते होंगे कि गांधीजीने भारतमें अपना पहला आश्रम अहमदाबादमें खोला था और उसे सत्याग्रह आश्रम नाम दिया था। यह आश्रम आजसे ३८ साल पहले, सन् १९१५ में, १५ मजीके दिन अहमदाबादके कोचरब नामक स्थानमें एक खानगी मकानमें खोला गया था। काफी लम्बा अरसा बीत गया, और जिन वर्षोंमें हमारे देशकी परिस्थितियोंमें अनेक परिवर्तन हुये हैं। अंक तो यह कि आश्रमके महान स्थापक ही अब हमारे बीचमें नहीं हैं, दूसरे यह कि हम आजाद हो गये हैं यद्यपि हमें अभी उस स्वराज्यका सुख नहीं मिला है, जिसकी प्राप्तिके लिये गांधीजीने अपना यह अमर आश्रम स्थापित किया था। जिन वर्षोंमें हम राष्ट्रके नाते दुनियाकी एक शक्ति बन गये, और हमारे राष्ट्र-पिता दुनियाकी एक बड़ी हस्तीके रूपमें प्रगट हुये— एक ऐसी बेमिसाल हस्ती, जिसके विषयमें आखिन्स्टाइनकी कहना पड़ा कि “भावी पीढ़ियां शायद मुश्किलसे इस पर विश्वास करेंगी कि ऐसी कोभी महान आत्मा सचमुच हमारी धरती पर मनुष्य-शरीरमें मौजूद थी। मनुष्यका स्वभाव है कि वह जैसे व्यक्तियोंको उनके संसर्गसे पवित्र हुये अवशेषोंके जरिये याद करनेकी और कल्पनाकी नजरसे देखनेकी जिच्छा करता है। वह उनका संग्रह करता है और उनकी रक्षा करता है, ताकि वह उस महापुरुषको भूल न जाय और ये चिन्ह उसे हमेशा उसका स्मरण कराते रहें। तदनुसार बम्बयी सरकारने कोचरबके इस पहले सत्याग्रह आश्रमके मकानको अपने अधिकारमें लेनेका निर्णय किया और अब वह इस महान संस्थाके योग्य स्मारकके रूपमें चलाया जायगा।

४ अक्टूबरको यानी हिन्दू पंचांगके अनुसार गांधी-जयंती — चरखा-बारस — के दिन इस स्मारककी अुद्घाटन-विधि बम्बयीके मुख्यमंत्रीके हाथों सम्पन्न हुयी। अहमदाबादके कलेक्टर महाशयने, जो कि स्मारकके लिये बम्बयी सरकार द्वारा नियुक्त की गयी सलाहकार-समितिके अध्यक्ष हैं, प्रास्ताविक भाषण करते हुये कहां : “दक्षिण अफ्रीकासे वापस स्वदेश आने पर सन् १९१५ में राष्ट्रपिताने किसी मकानमें पहली बार सत्याग्रह आश्रमकी स्थापना की थी। यहां वे करीब २ साल रहे। उसके बाद आश्रम यहांसे वहां ले जाया गया, जहां आज साबरमतीके किनारे आप हरिजन आश्रम देखते हैं।

“सन् १९५० में बम्बयी सरकारने इस स्थानको अपने अधिकारमें लेनेकी बात सोची, जहां गांधीजीने अपने जीवनके कुछ स्मरणीय दिवस बिताये थे और जहांसे उन्होंने चरखा, हरिजन-अुद्धार, गरीबोंके साथ समानता, स्वावलम्बन तथा दूसरे अनेक विचारों और कार्योंके प्रचारका आरम्भ किया था। मुझे यह कहनेकी जरूरत नहीं कि हमारे मुख्यमंत्रीजीने इस विषयमें

अितनी दिलचस्पी ली, अिसीलिजे यह स्थान अितनी जल्दी प्राप्त किया जा सका और उस कमेटीको, जो स्मारकका निर्माण ठीक ढंगसे करनेके लिये नियुक्त की गयी थी, सौंपा जा सका।

“सरकारने कमेटीकी अिस सिफारिशको मंजूर कर लिया है कि अिस स्थानको अधिकारमें लेनेका अुद्देश्य यह है कि मकानको गांधीजीके आश्रमके अवशेषकी तरह रक्षित किया जाय, और बापूजीको समाज-सेवाके जो कार्य प्रिय थे, उनके केन्द्रकी तरह उसका अुपयोग किया जाय। अपनी अिस सिफारिशके अनुसार स्वभावतः ही कमेटीने स्मारकको सुन्दर परन्तु सादा और जहां तक बने उसके मूल रूपमें ही रखनेकी कोशिश की है। मकानको यहां-वहां मरम्मत करके नया तो बनाया है, लेकिन उसका आकार और रूप तो वही रखा गया है जैसा कि बापूजी रहते थे, तब था।

“कमेटी द्वारा की गयी और सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशोंके अनुसार यह आश्रम एक लायब्रेरी चलायेगा, जहां गांधीजीका साहित्य रखा जायेगा। यह लायब्रेरी बापूको प्रिय सामाजिक और सांस्कृतिक कार्योंके संचालनके केन्द्रका काम भी करेगी। जिन सब कार्योंकी जिम्मेदारी अुठा सके, जैसे किसी योग्य व्यक्तिको यहां नियुक्त करनेका विचार है।”

अितना प्रास्ताविक भाषण करनेके बाद कलेक्टर महाशयने अिस अवसर पर आये हुये निम्नलिखित संदेश पढ़कर सुनाये :—

डॉ० राजेन्द्रप्रसादकी ओरसे

“जिन स्थानोंका हमारी आजादीकी लड़ाजीसे कोभी भी सम्बन्ध रहा है, खासकर जहां महात्मा गांधी रहे और जहां अुन्होंने काम किया, अेकेके बाद अेक, अुन सब पर राष्ट्रका ध्यान जो रहा है। निस्संदेह कालान्तरमें जिन सब स्थानोंको अैतिहासिक प्रसिद्धिका महत्त्व प्राप्त होगा। अहमदाबादमें कोचरबका सत्याग्रह आश्रम वह पहली जगह थी, जहां सन् १९१५ में गांधीजी दक्षिण अफ्रीकासे वापस आनेके बाद रहे और जहांसे अुन्होंने चरखा, हरिजन-अुद्धार, हिन्दी-प्रचार आदि कार्योंके विषयमें अपने विचारोंका प्रचार किया। अिस आश्रममें वे लगभग दो वर्ष रहे, और उसके बाद साबरमतीके आश्रममें, जो ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, गये। सन् १९५० तक कोचरबका वह मकान, जिसमें गांधीजी रहे, थे, अपनी मूल हालतमें ही कायम रहा। यह बहुत अुचित हुआ कि बम्बयी सरकारने उसे गांधीजीके आश्रमके अवशेषकी तरह सुरक्षित रखने और समाज-सेवाके कार्योंके केन्द्रकी तरह उसका अुपयोग करनेके लिये उसे आसपासके जमीनके साथ तीन साल पहले अपने अधिकारमें ले लिया।

“गांधीजीके राजनीतिक और मानव-सेवा-सम्बन्धी कार्योंके अिस पहले स्थलको अुनके योग्य स्मारकका रूप दिया जाय, यह निश्चय सर्वथा अुचित है। महात्मा गांधी अपने राजनीतिक और

सामाजिक विचारोंका प्रचार करते हुये जहाँ-जहाँ गये, वहाँ-वहाँ सब जगह तो कोबी बिरले ही जा सकते हैं। जिसलिये यद्यपि भारतके कोने-कोनेमें जैसे स्थान हैं, जहाँ वे गये थे और जिनके साथ स्थानीय जनता उनका नाम जोड़ती है, तो भी जिन स्थानोंको उन्होंने अपने कामके लिये चुना और जिन्हें अपना निवास-स्थान बनाकर पवित्रता प्रदान की, उनका पात्रता अलग है; उन्हें जरूर राष्ट्रीय स्मारकोंका रूप मिलना चाहिये। जिसलिये मैं मानता हूँ कि गांधीजीके जिस पहले सत्याग्रह आश्रमको स्मारकका रूप देनेका प्रयत्न सही दिशामें है। मैं बम्बयी सरकार और गांधी-स्मारक-निधिको उनके जिस निश्चय पर वधाही देता हूँ और आशा करता हूँ कि कोचरब आश्रम न सिर्फ हमारे बुद्धारक्तोंका कृतज्ञ स्मरण करानेमें सहायक होगा, बल्कि गांधीजीके जीवन और उनकी शिक्षामें समायी हुई उनकी अच्च आदर्श-निष्ठाकी प्रेरणा भी देगा।”

पंडित जवाहरलाल नेहरूकी ओरसे

“मुझे यह जानकर खुशी हुई कि वह मूल मकान, जिसमें गांधीजीने सन् १९१५ में सत्याग्रह आश्रम खोला था, ले लिया गया है और सामाजिक कार्यके केन्द्रकी तरह काममें आयेगा। यह बहुत योग्य कार्य हुआ। आश्रमकी बुद्धाटन-विधिके अवसर पर मैं अपनी सद्विच्छायें भेजता हूँ।”

श्री च० राजगोपालाचार्यकी ओरसे

“भगवान् करे हम सब पवित्र वस्तुओंकी कीमत करना और सही तौर पर पूजा-अपासना करना सीखें। यह बुद्धाटन-समारंभ उस स्थानको पवित्रता प्रदान करता है, जहाँ जनकने अपने महा-यज्ञके लिये भूमिमें हल चलाया और भारतके लिये सीताको प्राप्त किया।”

आचार्य कृपलानीकी ओरसे

“१९१७ के मध्यमें मुझे कुछ दिन तक कोचरब आश्रममें रहनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैं चंपारनमें बापूके साथ रहा था। निलहे गोरोंके अत्याचारोंके सम्बन्धमें चंपारनके किसानोंकी शिकायतोंकी जांचके लिये कमेटी नियुक्त हो चुकी थी और कुछ दिनों बाद उसका काम शुरू होनेवाला था। बापू बीचके जिस समयका उपयोग आश्रममें लौटकर वहाँ अपनी सामाजिक प्रवृत्तियाँ शुरू करने, खास करके राष्ट्रीय पाठशालाकी स्थापना करनेमें, कर लेना चाहते थे।

“आश्रमका जीवन मेरे लिये एक नया अनुभव था। उसके ज्यादातर सदस्य वही थे, जो दक्षिण अफ्रीकामें बापूके फिनिक्स आश्रममें रहते थे। श्री मगनलाल गांधी आश्रमके व्यवस्थापक थे। मुझे कबूल करना चाहिये कि वहाँका जीवन मुझे बिल्कुल रचिकर नहीं लगा। वह मुझे बहुत ही कड़ा और प्रतिबन्धोंसे पूर्ण मालूम हुआ। अज मैं जानता हूँ कि आश्रमवासियोंको कठोर व्रतोंके पालनकी शिक्षा देनेके लिये वे प्रतिबन्ध जरूरी थे। एक दिनके बाद ही बापूने वहाँके जीवनके बारेमें मेरी राय जानना चाही। मैंने स्पष्ट शब्दोंमें उनसे कह दिया कि आश्रमवासियोंने भले अहिंसाकी भावनाको अपने दिलमें अतार लिया हो, लेकिन उनके जीवन और कार्यमें मुझे सक्रिय प्रेमकी भावना नहीं दिखायी पड़ती। मैंने सक्रिय प्रेमका सम्बन्ध उन लोगोंके चेहरों पर दिखायी देनेवाली आनन्दकी एक प्रकारकी ज्योतिके साथ जोड़ा था, जो उसका अनुभव करते थे; लेकिन आश्रमवासियोंके चेहरों पर मुझे वह नहीं दिखलायी देती थी। मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य और घबराहट हुई कि शामको प्रार्थनाके बादके प्रवचनमें मेरी यह राय आश्रमवासियोंके सामने बापूने रख दी। अलबत्ता, बापूने कहा: ‘मैं प्रोफेसरकी रायको नहीं मानता।’ वे हमेशा मुझे प्रोफेसर कहते थे। मैं नहीं मानता कि आश्रमके पुराने सदस्योंने

मेरी जिस रायकी कदर की होगी। मैं उनसे यह आशा कर भी नहीं सकता था। लेकिन उस समयकी यह घटना मुझे याद आ रही है।

“उस समय सावरमतीकी जमीन ले ली गयी थी और हम लोगोंको अक्सर वहाँ काम करना पड़ता था। कभी-कभी हम वहाँ शिविर-जीवन बिताने जाते थे, जो रचनात्मक कामके निरीक्षणके लिये खड़ा किया गया था।

“कोचरब आश्रममें कुछ दिन रहनेका मुझे जो सौभाग्य मिला, उस बीच होनेवाले विविध अनुभवोंको मैं यहाँ पेश नहीं करना चाहता। मुझे जिस बातकी खुशी है कि बम्बयी सरकारने उस ज़िमागतको खरीद लिया है, जहाँ भारतमें सत्याग्रह आश्रमने अपना कार्य शुरू किया था। यह जानकर भी मुझे आनन्द होता है कि आसपासकी जमीन भी बापूका रचनात्मक काम चलानेके लिये ले ली गयी है। मैं नयी संस्थाकी पूर्ण सफलता चाहता हूँ।”

श्री ग० वा० मावलंकरकी ओरसे

“यह जानकर मुझे बड़ा आनन्द और सन्तोष होता है कि बम्बयी सरकारने भारतमें गांधीजीके पहले आश्रमके स्थानको स्मारकके रूपमें कायम रखनेका निर्णय किया है। मैं उस स्थानको और उस ज़िमागतको १९१५ से जानता हूँ, जब गांधीजी वहाँ आकर रहने लगे थे। मुझे आश्रमकी प्रार्थना-सभाओंमें हाजिर रहने और स्वयं गांधीजीके हाथका परोसा हुआ भोजन करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे वे पवित्र दिन और गांधीजी द्वारा सिखायी हुई महान वस्तुयें याद हैं। वे सब गांधीजीके अपदेशोंका पालन करनेके मेरे निश्चयको अधिक दृढ़ बनाती हैं और आज भी मुझे जीवनमें प्रेरणा देती हैं।

“गांधीजीको किसी स्मारककी जरूरत नहीं है। वे स्वयं अपने स्मारक हैं। ऑट-चूनेकी यह ज़िमागत केवल एक भौतिक वस्तु है। जिस अवसर पर मैं यही आशा करता हूँ कि वह भावी पीढ़ियोंको अपने हृदयमें सत्याग्रह आश्रमके आदर्शको स्थापित करने और सत्य, अहिंसा तथा सेवाके रास्ते चलनेकी प्रेरणा देगी। मुझे जिस बातका दुःख है कि बाहरके दूसरे काम होनेसे जिस अवसर पर मैं अपस्थित नहीं हो सकूंगा। मैं नयी संस्थाकी पूर्ण सफलता चाहता हूँ।” (मूल गुजरातीसे संक्षिप्त)

मुख्यमंत्री श्री मोरारजी देसाजीने अपने भाषणमें जिस स्मारकके लिये हमारे मनमें स्वभावतः बसनेवाली पवित्र भावनाका जिक्र किया और जिस सम्बन्धमें गहरी चिन्ता व्यक्त की कि जिस नयी संस्थाका ऐसा उत्तम प्रबन्ध होना चाहिये, जो हमारे राष्ट्रपिताके अखिल आदर्शको शोभा दे। उन्होंने कहा, जिसके लिये बम्बयी सरकार एक ट्रस्ट कायम करना चाहती है, ताकि लोकशाहीकी व्यवस्थामें समय-समय पर बदलती रहनेवाली सरकारोंके कारण जिस स्मारकके कामको कोबी धक्का न पहुँचे।

जिस सम्बन्धमें मेरा सुझाव है कि ऐसी व्यवस्था करनेका उचित रास्ता यह होगा कि धारासभा एक कानून बनावे, जिसमें सत्याग्रह-आश्रम-स्मारक-ट्रस्टकी स्थापना और उसके सुयोग्य संचालनके सामान्य नियम बताये गये हों। हमें यह समझना चाहिये कि यह स्मारक कितना ही मामूली और बाहरसे छोटा दीखनेवाला क्यों न हो, फिर भी यह सत्याग्रह आश्रमके विचारका प्रतीक है, जो अब इतिहासकी वस्तु बन चुका है। जिस तरह यह उस आश्रम-आदर्शका जगद्व्यापी स्मारक है, जो राजनीतिमें सत्याग्रह पर आधारित वैयक्तिक और सामूहिक जीवन-पद्धतिकी स्थापना और विकास करना चाहता था। और सत्याग्रह बापूकी दुनियाको दी हुई अमर और अनीखी भेंट है।

१०-१०-५३
(अंग्रेजीसे)

मगनभायी देसाजी

अनिवार्य टीकेके सौ वर्ष

सम्पादक, हरिजन

अनिवार्य टीकेकी हानिकारी प्रथाको शुरू हुये जिस वर्ष अंक पूरी शताब्दी हो गयी। उसका आरम्भ सन् १८५३ में सबसे पहले अंग्लैंडमें हुआ था। जिस साल उसका आरम्भ हुआ उसी साल उसके विरोधका भी आरम्भ हुआ। लोगोंका विरोध उसकी अनिवार्यताके खिलाफ था। टीकेकी उपयोगितामें लोगोंका यह अविश्वास लगातार बढ़ता ही गया, क्योंकि अंक तो उसकी विफलताके अनेक अुदाहरण ध्यानमें आये, दूसरे यह भी स्पष्ट हो गया कि उसकी विधि हानिकर है तथा डॉक्टरोंका उसकी निर्दोषताका दावा झूठ है।

लोगोंके जिस बढ़ते हुये विरोधके ही कारण अन्तमें सन् १८८९ में तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने जिस प्रश्नकी जांचके लिये अंक शाही कमीशनकी नियुक्ति की। विरोधके सिलसिलेमें हजारों मां-बापोंने कानूनका अल्लंघन किया, जेल गये और जुर्माना दिया। लेकिन अन्होंने अपने प्रामाणिक निश्चयसे हटना और टीका लगवा कर अपने बच्चोंके स्वास्थ्यको नुकसान पहुंचाना मंजूर नहीं किया। टीकेके दुष्परिणामोंकी ८,००० से भी ऊपर घटनायें शाही कमीशनको बतायी गयीं। और शाही कमीशनने सिफारिश की कि अनिवार्य टीका बन्द कर दिया जाय। सन् १८९८ तक ब्रिटेनके मां-बापोंका यह विरोध अितना अुग्र हो गया था कि सरकारको लोगोंकी मांगके सामने झुकना पड़ा और — भगवान्को धन्यवाद है — उसने अनिवार्य टीका बन्द कर दिया।

अंग्लैंडका यह अनिवार्य टीका-कानून वहाँके अग्रगण्य डॉक्टरोंकी झूठी गवाहियों पर खड़ा था। अनुभवने जिसे असिद्ध प्रमाणित किया, उसे वे हकीकतकी तरह पेश करते आये थे। अंग्लैंड और अमेरिकाने दुनियाको यह दिखा दिया है कि टीकेका प्रयोग किये बिना ही, सिर्फ स्वच्छताके जरिये चैचक आदि बीमारियां मिटायी जा सकती हैं। पिछले पचास वर्षसे ब्रिटेनमें लाखों बालकोंको टीका कभी नहीं लगाया गया। आज यह अवस्था है कि चैचकसे अतना खतरा नहीं है, जितना कि टीकेसे है। पिछले तीस सालमें, ब्रिटेनमें चैचकसे मरनेवाले ५ सालसे कम अुम्रके बच्चोंकी संख्या सिर्फ ११८ है, लेकिन टीकेसे २९१ बच्चोंकी मृत्यु हुयी। टीकेके फलस्वरूप दूसरी कितनी ही बीमारियां पैदा होती हैं, जिनमें कुछ तो टीकेसे भी ज्यादा भयंकर और घातक हैं।

लंदनके 'चर्च टाइम्स' नामक धार्मिक अखबारमें अंक बहुत प्रसिद्ध धार्मिक व्याख्याता रेवरेंड अच० ह्यूज टीकोंमें लगनेवाली लसी बनानेके लिये बेचारे बछड़ोंको जो तकलीफ दी जाती है उसका वर्णन करते हुये कहते हैं: "मेरी समझमें नहीं आता कि कोयी मनुष्य यह कैसे मान सकता है कि बछड़ोंको असी अमानुषिक यातना देकर तैयार की हुयी जिस घिनौनी लसीको छोटे-छोटे बच्चोंके शरीरमें भरना भगवान्की अच्छाके अनुकूल है।"

जिसलिये मैं 'हरिजन' के जरिये सब राज्य-सरकारोंसे और अुनके स्वास्थ्य-विभागके मंत्रियोंसे — जो हमारे सौभाग्यसे डॉक्टर नहीं हैं — प्रार्थना करता हूँ कि वे हमारे यहां भी अनिवार्य टीका कानून रद्द करें।

५४, वुडहाउस रोड,
कोलाबा, बम्बयी - ५
(अंग्रेजीसे)

सोराबजी मिश्री

अविवेककी पराकाष्ठा

आज गांधी-जयन्ती है। जिसलिये दूसरे अखबारोंकी तरह 'टाइम्स ऑफ इंडिया' ने भी अपने पहले पृष्ठ पर 'राष्ट्रपिता' शीर्षकके नीचे महात्माजीका चित्र दिया है।

अुसके ठीक नीचे ये सूचक शब्द छपे हैं — "आर्थिक संकट दूर करनेके लिये शराबबन्दी खतम होनी चाहिये।" "डॉ० देशमुख कहते हैं, अगले दस सालके लिये जरूर शराब पियो।"

जिस शुभ अवसर पर डॉ० पंजाबराव देशमुखका यह कितना अुपयुक्त वक्तव्य है! राष्ट्रपिताको अर्पित अुनकी यह कितनी पवित्र भेंट है!!

सचमुच हमारे मंत्रियों और जिम्मेदार नेताओंको जिस तरह बोलते देखकर बड़ा दुःख होता है, मानो वे ही सारे राष्ट्रके कर्ता-घर्ता और भाग्य-विधाता हों। क्या अुस महापुरुषकी आत्माको यह देखकर शांति मिलेगी कि केन्द्रीय सरकारका अंक जिम्मेदार मंत्री अुनकी जयन्तीके ही दिन ये शब्द बोलनेकी हिम्मत करे? मंत्री महोदय कहते हैं: "मैं तो लोगोंसे यहां तक कहूंगा कि अगले दस साल तक और शराब पियें। मैं ज्यादा पैसा पानेके लिये आतुर हूँ; मुझे जिस बातकी परवाह नहीं है कि वह पैसा कहाँसे आता है!"

क्या यह भारतीय संविधानको खुली चुनौती नहीं है, जिसके आदेशोंका पालन करनेकी अिन लोगोंने पवित्र प्रतिज्ञा ली है? क्या मंत्री महोदय अपने हृदयकी दबी हुयी भावनाओंको ज्यादा अनुकूल शब्दोंमें व्यक्त करनेके लिये दूसरा कोयी मौका नहीं चुन सकते थे? क्या कठिन आर्थिक परिस्थितियोंमें भी अैसे शब्द कहते हुये अुन्हें भारी दुःख नहीं होता?

किसी भी स्रोतसे पैसा मिले जिसकी अुन्हें चिन्ता नहीं है, भले वह गरीबों और अुनके परिवारोंका सर्वनाश करके और समूचे राष्ट्रका नैतिक स्तर गिराकर ही क्यों न मिले। अितना ही नहीं, वे तो चाहेंगे कि संयमी लोग भी शराब पीने लगे, ताकि अुनके मंत्रीको ज्यादा पैसा मिले। क्या अुन्हें यह विश्वास है कि १० सालके बाद भी वे मंत्री रहेंगे और तब वे संविधानके आदेशानुसार शराबबन्दीका आन्दोलन शुरू करेंगे?

आर्थिक संकट गलत योजनाका नतीजा हो सकता है, क्योंकि अुसमें पहले करने लायक कामोंको पहला स्थान नहीं दिया गया है। अैसी योजनाओं पर बड़ी-बड़ी रकमें खर्च की जा रही हैं, जिनमें आम लोगोंकी कोयी दिलचस्पी नहीं है। क्योंकि वे अुनके दिलोंको नहीं छूतीं। ये योजनायें केवल सलाहकारोंकी सनकोंका ही परिणाम मालूम होती हैं। क्या जिस बातकी कोयी गारंटी है कि सरकारकी वर्तमान नीति जारी रही तो आबकारीसे मिलने-वाला पैसा भी सलाहकारोंकी अिन सनकोंके लिये काफी होगा?

मेरी अितनी ही नम्र प्रार्थना है कि भगवान् गरीब भारतकी सहायता करे और अैसे मित्रोंसे अुसकी रक्षा करे।

नासिक, २-१०-५३

परशुराम शर्मा

[मैं अुपर प्रकट किये गये विचारोंकी पूरी ताबीद करता हूँ। 'टाइम्स ऑफ इंडिया' ने राष्ट्रपिताके चित्रके नीचे डॉ० देशमुखके वक्तव्यको स्थान देकर सुरक्षिका अभाव ही प्रकट किया है। अगर अुसकी रिपोर्ट सही हो तो मालूम होता है कि डॉ० देशमुखने मद्य-पान और अुससे मिलनेवाले दूषित पैसेके लिये जिहाद-सा छेड़ दिया है। यह देखकर हैरानी होती है कि शराबका यह जिहाद भारत-सरकारके अंक मंत्री द्वारा छेड़ा गया है, जो भारतीय संविधानके जिस आदेशको माननेके लिये वचनबद्ध है कि राज्य दवा-दारूके प्रयोजनोंको छोड़कर शराब और नशीले पदार्थोंके अुपयोग पर प्रतिबन्ध लगानेका प्रयत्न

करेगा। अूंचे पदों पर काम करनेवाले अधिकारियोंकी अैसी भयंकर गरजिम्मेदारी हमारे नये लोकतंत्रके लिये खतरनाक है। क्या प्रधानमंत्रीकी अविवेककी परकाष्ठा दिखानेवाले मंत्रियोंके अैसे बुद्गारों पर रोक नहीं लगानी चाहिये?

५-१०-५३
(अंग्रेजीसे)

—म० प्र०]

हरिजनसेवक

१७ अक्टूबर

१९५३

भारतके नकशेकी पुनर्रचना

[भारतीय संघके राज्योंके पुनर्विभाजनका प्रश्न सारे देशमें तेजीसे प्रधानता प्राप्त कर रहा है। जिसलिये केन्द्रीय सरकार और राजनीतिक दल, भले वे चाहें या न चाहें, जिसकी तरफ ध्यान देनेकी मजबूर हो गये हैं। श्री जवाहरलाल नेहरूने अपने दक्षिण भारतके पिछले दौरमें मद्रासमें जिस विषय पर अपने विचार प्रकट किये। श्री राजगोपालाचार्यने पंडित नेहरूसे बोलनेकी विनती करते हुअे कहा कि हमें खुशी है कि कांग्रेसके अध्यक्ष और हमारे प्रधानमंत्री कुछ अैसी बातें कहनेवाले हैं, जिन्हें हमें "समझदारीभरी और स्थायी सलाह" के रूपमें ग्रहण करना चाहिये। भाषणका सार ३ अक्टूबर, १९५३ के 'हिन्दू' से नीचे दिया गया है।]

पंडित नेहरूने कहा: "मैं आपके सामने यह कबूल करता हूँ कि मैं जिस विषयमें जल्दी नहीं करना चाहता था। मैं जिस प्रश्नको तब तक मुलतबी रखना चाहता था—यहां मैं आंध्रकी बात नहीं कर रहा हूँ, सामान्य समस्याओंकी बात कर रहा हूँ—जब तक कि भारतके संगठन और अंकीकरणकी दूसरी प्रक्रियायें पूरी नहीं हो जातीं। हम आज अपने देशको कबी तरहसे संगठित कर रहे हैं, और मेरे विचारसे हम लोग दुनियामें अेक मजबूत राष्ट्र हैं। फिर भी, अगर हम भारतकी और अुसकी जनताकी संपूर्ण भावनाकी अेकता सिद्ध करना चाहते हैं, तो हमें अभी बहुत कुछ करना होगा।

"मैं तो अिसे ज्यादा पसन्द करता कि भारतके प्रान्तों और राज्योंको नया रूप देनेकी प्रक्रिया तब तक मुलतबी रहती या रोक दी जाती, जब तक हमारा देश अेक ठोस और पक्की बुनियाद पर खड़ा नहीं हो जाता। जिसमें मुझे कोबी शक नहीं था कि कुछ हद तक भारतके नकशेको नया रूप देना जरूरी है, लेकिन यह नहीं कह सकता कि जिस दिशामें हमें किस हद तक जाना चाहिये। यह जरूरी नहीं है कि ब्रिटिश शासकोंसे हमें विरासतमें मिली हुअी हर चीजको हम अुसी रूपमें स्थायी तौर पर स्वीकार कर लें। भारतके नकशेको नया रूप देनेकी प्रक्रिया शुरू हो गयी है; हम अुसे सुन्दर और पूर्ण रूपसे सम्पन्न करें। हमें अुससे डरने या दुःखी होनेकी जरूरत नहीं। अितना निश्चित है कि सारे भारतमें विभिन्न रूपों और आकारोंमें जो परिवर्तन हो रहे हैं या होनेवाला है, अुसका अेक अैतिहासिक महत्त्व है।"

यहां प्रधानमंत्रीने जिस सम्बन्धमें भाषावार प्रान्तोंकी बातका जिक्र किया और कहा, जिसमें कुछ तथ्य हो सकता है, लेकिन मैं 'भाषावार प्रान्त' शब्दप्रयोगकी पसन्द नहीं करता। बेशक, भाषा किसी प्रजा या राष्ट्रकी संस्कृतिका अेक महत्त्वपूर्ण और प्रमुख अंग है। हम भारतमें संस्कृति—दूसरी चीजोंके साथ भाषा भी जिसका प्रतिनिधित्व करती है—की विविधताको सुरक्षित रखना चाहते हैं और तामिल, तेलगु तथा अन्य भाषाओंकी विकास

और सांस्कृतिक अभिव्यक्तिका पूरा मौका देना चाहते हैं। "लेकिन भाषावार प्रान्तोंकी बात करते हुअे हम प्रश्नके अेक महत्त्वपूर्ण पहलू पर तो जोर देते हैं, जब कि दूसरे कबी महत्त्वपूर्ण पहलूओंको किसी न किसी तरह भुला देते हैं। जिस प्रश्नके सारे पहलूओं पर सम्पूर्ण विचार किया जाना चाहिये, जिसमें भाषा, संस्कृति, शासन, अर्थ, सुरक्षा, बचाव और अन्य कबी बातोंका समावेश होता है। तभी आप पूरी तसवीरको देख सकते हैं। जिसके अलावा, आप किसी अेक राज्यकी समस्याको दूसरोंसे बिलकुल अलग करके नहीं देख सकते, क्योंकि अेक राज्य दूसरे दो, तीन या चार राज्योंसे जुड़ा होता है। ज्यों ही आप अेक राज्यको छूते हैं, अुसका असर दूसरे राज्यों पर पड़ता है। लोग जिस चीजको महसूस नहीं करते। आन्ध्र राज्यका निर्माण अपेक्षाकृत अत्यन्त सीधी-सादी समस्या थी, और फिर भी वह अितनी आसान नहीं थी। हर तरहकी कठिनाअियां अुसमें पैदा हुअीं और आगे भी पैदा होंगी।"

सामने खड़ी समस्यायें

श्री नेहरूने कहा, "दक्षिण भारत और पश्चिम भारतसे भाषा-वार राज्योंकी रचनाकी मांग हो रही है। अुनमें से हरअेक पर स्वतंत्र रूपसे विचार नहीं किया जा सकता। अुदाहरणके लिये, हम महाराष्ट्र राज्यकी मांगको लें। महाराष्ट्री लोग भारतके बड़े अच्छे और पुरुषार्थी लोग हैं। महाराष्ट्र प्रान्त बनानेकी अुनकी मांग बिलकुल अनुचित नहीं है। लेकिन ज्यों ही हम जिस समस्या पर विचार करते हैं, हमारे सामने कबी प्रश्न खड़े होते हैं। पहला प्रश्न स्वभावतः दूसरे नतीजोंके साथ बम्बयी राज्यको तोड़नेका अुठता है।

यही बात कर्नाटक पर भी लागू होती है। कन्नड़ लोग अपना अलग राज्य चाहते हैं। अुन लोगोंके साथ मेरी पूर्ण सहानुभूति है। और अुनका अपना अलग राज्य क्यों नहीं होना चाहिये? अुनकी मांगमें दूसरे कबी लोगोंकी मांगसे ज्यादा औचित्य है। लेकिन कर्नाटकका निर्माण अपने आपमें कोबी सरल प्रश्न नहीं है। अगर हम जिस समस्याको हाथमें लेते हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने मैसूर आकर खड़ा होता है। बम्बयी, मध्यप्रदेश और बरारको भी यह सवाल खूता है। हम आसानीसे यह नहीं कह सकते: "आप कर्नाटक प्रान्त ले सकते हैं; यह लीजिये।" सारा मध्य और दक्षिण भारत जिससे हिल अुठेगा। जिसलिये हमें तसवीरके हर पहलू पर विचार करना होगा।

श्री नेहरूने बताया कि सबसे बड़ी समस्या आर्थिक है। हम आर्थिक समस्याकी बहुत बातें करते हैं और यह ठीक भी है। मुख्य प्रश्न लोगोंका जीवनमान अूंचा अुठानेका और बेकारी व गरीबी दूर करनेका है। "अगर यह हमारे देशकी सबसे बड़ी समस्या हो, तो क्या हमें कोबी अैसा काम करना चाहिये, जो अिसे हल करनेके रास्तेमें बाधा डाले या अुसे टाले? यह बड़े महत्त्वका सवाल है। जिसलिये मैं कहता हूँ कि प्रश्नका अेक महत्त्वपूर्ण अंग होते हुअे भी भाषा अुसके दूसरे अंगों पर हावी नहीं हो सकती। प्रश्नके दूसरे महत्त्वपूर्ण अंगोंका विचार हमें करना ही होगा।"

अुच्च सत्ताधारी कमीशन

श्री नेहरूने आगे कहा, "जिसी कारणसे हम अेक अुच्च सत्ताधारी कमीशन नियुक्त करने जा रहे हैं, जो अिन सब बातों पर विचार करेगा। मैं हमेशा जिस तरहके कमीशनकी नियुक्तिका विचार करता रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं मानता कि आज भारतकी हर चीजको हम अुसके मौजूदा रूपमें ही स्वीकार कर लें। लेकिन मैंने यह आशा जरूर की थी कि अैसे कमीशनकी नियुक्ति कम-से-कम अगले दस साल तक नहीं की जायगी, जब तक भारत

अच्छी तरह संगठित और स्थिर न हो जाय; मैंने यह भी आशा की थी कि हम राज्योंको काट-छांटकर नया रूप देनेका काम थोड़े दूसरे ढंगसे कर सकते हैं।”

श्री नेहरूने कहा कि आजकी हालतको देखते हुये हम जिस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जिस प्रश्नको न टालना ही अच्छा है। “अगर देर करनेसे हम लोगोंके मनको अतृप्त स्थितिमें रखें तो उससे लाभ नहीं होगा। जिसलिये हमने जल्दी ही यह कमीशन नियुक्त करनेका फैसला कर लिया है।”

अनुोंने यह आशा व्यक्त की कि जिस वर्षमें कमीशनकी नियुक्ति हो जायगी और वह शांतिसे तथा तटस्थ और निष्पक्ष भावसे अपना काम आगे बढ़ायेगा। कमीशन जिस तरीकेसे अपना काम कहां तक कर सकेगा, यह लोगों पर निर्भर करेगा। बहरहाल, मैं चाहता हूँ कि कमीशन इसी रास्तेसे काम करे और सारे भारतकी तसवीरको ध्यानमें रखे।

पुनर्गठनके सिद्धान्त

श्री नेहरूने कहा, “मैं केवल भाषावार प्रान्तोंका ही विचार करनेके लिये तैयार नहीं हूँ। लेकिन मैं इसी वक्त सारे भारतका विचार करनेके लिये तैयार हूँ—सारी बातोंको ध्यानमें रखकर और भाषा सम्बन्धी, सांस्कृतिक और अन्य बातोंको दृष्टिमें रखकर विभिन्न राज्योंका पुनर्गठन कैसे किया जाय यह सोचना है, जिससे कमीशन भारतके लोगोंके सामने पूरी तसवीर पेश कर सके।

“भाषावार प्रान्तरचनाका सिद्धान्त हमारी दृष्टिको संकुचित बना देता है और हमें भारतके प्रति कम तथा अपने राज्यों या प्रान्तोंके प्रति अधिक सजग बनाता है। अगर जिसका यही नतीजा आता हो, तो यह बुरा नतीजा है। हमें सबसे पहले और सबसे ज्यादा भान सम्पूर्ण राष्ट्रका होना चाहिये। जिसे राष्ट्रीय चेतना कहते हैं। वना आम लोग संकुचित और प्रान्तीय दृष्टिवाले बन जाते हैं।” अगर हरएक राज्यके लोग संकुचित बन जायँ और अपने ही राज्यका खयाल रखें, तो यह बुरी चीज है। हमें जिससे सावधान रहना चाहिये।

भारतकी अकेला

श्री नेहरूने कहा कि जब हम भारत छोड़कर अमेरिका, रूस या चीनमें जाते हैं, तब हम भारतके जिस हिस्सेसे जाते हैं उसका अितना विचार नहीं करते। “हम सम्पूर्ण भारतका ही अधिक विचार करते हैं। भले हम भारतके किसी भी हिस्सेसे क्यों न आये हों। जब हम भारतके बाहर रहते हैं, तब हममें भारतका ही ज्यादा मजबूत खयाल होता है। लेकिन अगर आप अपने राज्य, जिले या शहरका ही विचार करते रहें, तो देशकी भावना अितनी मजबूत नहीं हो सकती। मैंने हमेशा यह महसूस किया है कि भारतकी स्वतंत्रता प्राप्त करनेके बाद दूसरी मंजिल भावना-सम्बन्धी और मनोवैज्ञानिक आधार पर जिस अकेलाकी सिद्धि होगी।”

श्री नेहरूने कहा, मैं भारतके लोगोंको—अनुके दिमागों, आदतों या विचारोंको एक सांचेमें ढालनेकी जरा भी अच्छा नहीं रखता। ऐसा करना घातक होगा। मैं चाहता हूँ कि भारतकी समृद्ध विविधता कायम रहे और भारतका हर हिस्सा अपनी आदतों और जीवन तथा विचारोंकी विविध पद्धतियोंके अनुसार अपना विकास करे। लेकिन उसे भारतीय अकेलाके नकशेका जरूर खयाल रखना चाहिये। अगर हम जिस दृष्टिसे जिस महत्वपूर्ण समस्या पर विचार नहीं करेंगे, तो एक मजबूत राष्ट्रके रूपमें हम आगे नहीं बढ़ सकते। जिसके फलस्वरूप अतीतमें हमने जो बुरे दिन देखे हैं, वैसे ही फिर हमें देखने पड़ सकते हैं।

भीतरी खतरा

“यह खयाल मत रखिये कि अतीतका पुनरावर्तन नहीं हो सकता और हमने सारे खतरोंको पार कर लिया है, या हम विदेशी हुकूमतके भयसे हमेशाके लिये दूर हो चुके हैं। कभी-कभी दुनियामें जिस बातकी बड़ी चर्चा होती है कि भारत पर हिमालयकी तरफसे रूसका हमला होनेका बड़ा खतरा है। मेरे मनमें जिस तरहके खतरेका जरा भी विचार नहीं आता। अगर खतरा पैदा हुआ, तो हम उसके लिये तैयार हैं। मुझे उसकी चिन्ता नहीं है। मैं नहीं जानता कि शक्तिशाली देश जिस बारेमें अितने चिन्तित क्यों हैं। लेकिन भीतरी खतरेकी मुझे जरूर चिन्ता है। अतिहासके अपने अध्ययनसे मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि इसी तरहके खतरेने हमारी अकेलाको तोड़ा है और हमें विदेशियोंका गुलाम बनाया है।”

जिस सिलसिलेमें भाषावार राज्योंके विषय पर लौटते हुये श्री नेहरूने जिस बात पर जोर दिया कि भारतकी अकेलाको कमजोर बनानेवाला कोभी काम हमें नहीं करना चाहिये। यह साफ है कि अगर हम किसी तरहके भाषा-सम्बन्धी आधार पर ही जिस समस्याको हल करनेका प्रयत्न करेंगे और दूसरे हर आधारको छोड़ देंगे, तो हम राज्योंके जैसे विभाजन कर देंगे जो आर्थिक और शासनिक दृष्टिसे हास्यास्पद होंगे। हमें राष्ट्रोंके बीच हास्यास्पद विभाजन स्वीकार करने पड़ते हैं, क्योंकि वे ऐतिहासिक घटनाओं या युद्धके परिणाम होते हैं। लेकिन केवल समान भाषा-विभागकी प्रेरणाको संतुष्ट करनेके लिये हम आर्थिक और शासनिक दृष्टिसे हास्यास्पद विभाजन क्यों स्वीकार करें? वैसे हम देशकी सारी भाषाओंका विकास करना चाहते हैं।

श्री नेहरूने अंतमें कहा, अब चूंकि जिस सारे प्रश्न पर विचार करनेवाले कमीशनकी नियुक्तिकी घोषणाके जरिये जिस विषयमें सरकारकी नीति स्पष्ट रूपसे देशके सामने रख दी गयी है, मेरी रायमें लोगोंका जिस या उस भाषावार राज्यकी रचनाके लिये आन्दोलन करना बिल्कुल गैरजरूरी और गलत होगा। असका कोभी अर्थ नहीं है। नारे लगाना और जिस या उस बातकी मांग करनेवाले प्रस्ताव पास करना ब्रिटिश हुकूमतके दिनोंकी हमारी कार्यपद्धतिकी याद दिलाता है। स्वतंत्र भारतमें ऐसा करना हमें बिल्कुल शोभा नहीं देता।

(अंग्रेजीसे)

अ० भा० नबी तालीम सम्मेलन

टीटाबर (आसाम) में होनेवाले नवें अखिल भारतीय नबी तालीम सम्मेलनके अन्तर्गत नबी तालीम प्रदर्शनीका जो आयोजन किया जानेवाला है, उसके विषयमें पूछताछ करनेवाले हमें कभी पत्र मिले हैं। प्रदर्शनीमें रखी जानेवाली वस्तुओं ८ नवम्बर, १९५३ तक टीटाबर पहुंच जानी चाहियें। हिन्दुस्तानी तालीमी संघ, सेवानाम द्वारा प्रकाशित अनेक पुस्तकामें जिस प्रदर्शनीके सम्बन्धमें सूचनायें दी गयी हैं, जो ४ आनेके पोस्टल टिकट भेजकर प्राप्त की जा सकती हैं।

रियायत-प्रमाणपत्र

सरकारी, अर्ध-सरकारी, स्थानीय स्वायत्त-शासनसे सम्बन्ध रखनेवाली या कानूनके अनुसार स्थापित किसी संस्थाके कर्मचारी, जो व्यक्तिगत रूपमें अ० भा० नबी तालीम सम्मेलनमें आना चाहते हैं, रेल किरायेमें मिलनेवाली रियायतका लाभ अुठा सकते हैं। लेकिन जिसके लिये उन्हें अपने अुच्च अधिकारियोंका ऐसा प्रमाणपत्र भेजना होगा कि उनका प्रवास-खर्च किसी सरकारी, अर्धसरकारी या कानूनके अनुसार स्थापित संस्था द्वारा नहीं अुठायया जायगा।

३०-९-५३
सेवानाम, (वर्धा)
(अंग्रेजीसे)

व्यवस्थापक
प्रकाशन-विभाग
हिन्दुस्तानी तालीमी संघ

विश्व-सरकारकी स्थापना समस्याका हल नहीं

[नीचे श्री विल्फ्रेड वेलाँककी 'आर्चड ली लेखमाला' का आठवां लेख 'स्थानीय, राष्ट्रीय और विश्व-सरकार' (लोकल, नेशनल अण्ड वर्ल्ड गवर्नमेंट) कुछ रूपान्तरके साथ दिया गया है। आज औद्योगिक विकास, संस्कृति, लोकतंत्र और विश्व-शांति आदिकी प्रगतिमें हम अके चौराहे पर खड़े हैं और अपना मोड़ हमें चुनना है। जिस सम्बन्धमें प्रस्तुत लेख गहरे विचारकी सामग्री पेश करता है। उसमें महत्त्वपूर्ण और बुनियादी सवाल उठाये गये हैं, जिन पर स्वतंत्र भारत और उसकी सरकारोंको ध्यान देना चाहिये। शुतुर्मुर्गकी तरह आंखें बन्द करके जिन प्रश्नोंकी अपेक्षा करना अपयोगी नहीं होगा।

२१-७-५३

— म० प्र०]

आजकल लोगोंके विचार और कार्य महाराज्य (सुपर स्टेट), राष्ट्रसमूह (पावर ब्लॉक) और विश्व-सरकार आदिकी दिशामें चल रहे हैं। शांति निर्माण करनेका अन्हें यही अके रास्ता दीखता है। जैसे समय अगर कोजी कहे कि नहीं, हमें छोटे-छोटे स्वल्पाकार समाज बनाने चाहिये और सत्ताका विकेन्द्रीकरण करना चाहिये, तो अन्हें आश्चर्य होगा। लेकिन मनुष्यका पुराना अनुभव है—दो विरोधी वस्तुओं जब अपनी सीमाओं पर जा पहुँचती हैं, तो आपसमें मिल जाती हैं। कोजी सम्यता जब टूटने और नष्ट होने लगती है—जैसे कि आज पश्चिमी सम्यता—तब मनुष्यका मन अपने आग्रहोंकी कैदसे मुक्त होकर सत्यकी खोज नयी दिशाओंमें करनेके लिये अद्यत हो जाता है।

आज आन्तरराष्ट्रीय आर्थिक और राजनीतिक जीवनमें व्यवस्थाका लेश भी नहीं रह गया है। अनेक पश्चिमी देश और सभी देशोंमें छोटे-छोटे अल्पसंख्यक वर्ग विलासका निरर्थक और पंकिल जीवन बिता रहे हैं, जब कि मनुष्य-समाजका अके बहुत बड़ा हिस्सा अपनी बुनियादी आवश्यकताओं भी पूरी नहीं कर पा रहा है। जीवनकी जिस प्रणालीकी आवश्यकताओं और उसमें होनेवाली भयंकर बरबादीसे जहाँ-तहाँ अहंकार, लोभ, द्वेष, डर, असंतोष आदि दोष पैदा होते हैं, साम्यवादको और उसके साथ प्रतिक्रांतिको प्रेरण मिलती है, और अंतमें युद्धकी नौबत आती है। सैनिक खर्च बेहिसाब बढ़ता जाता है। अगर यही खर्च सैनिक तैयारियों पर न होकर निर्माणके कार्यों पर हो, तो न सिर्फ सारी मानव-जातिके अभावोंकी तकलीफ दूर हो जाय, बल्कि दुनियामें जिस अकेता और शांतिको मनुष्य आज ढूँढ ढूँढकर मर रहा है, वह भी सिद्ध हो जाय।

यह तो प्रत्यक्ष सिद्ध किया जा सकता है कि भौतिक बहुलताकी ही महत्त्व देनेवाली सम्यता अति उत्पादन, बाजारोंके लिये संघर्ष, बेकारी, अर्थ-व्यवस्थाकी टूट-फूट, साम्यवाद, प्रतिक्रांति, बढ़ती हुई शस्त्र-सज्जा और अन्तमें युद्ध आदिकी बुराइयोंका अके पूरा दुष्ट चक्र पैदा करती है। ज्यों-ज्यों समय बीतता है, यह चक्र और जल्दी-जल्दी घूमता है, अर्थ-व्यवस्थाकी गड़बड़का विस्तार बढ़ता है, शस्त्र-सज्जा ज्यादा बड़े प्रमाण पर होती है और अन्तमें हम उस अवस्थामें दाखिल हो जाते हैं जहाँ युद्ध अके स्थायी हकीकतका रूप ले लेता है। जब ऐसा होता है, और लोग उससे अुद्धार पानेका कोजी दूसरा चारा नहीं देखते, तब वे विश्व-सरकारकी मांग करने लगते हैं। लेकिन यह याद रखना चाहिये कि ऐसी विश्व-सरकार यदि बन भी जाय, तो वह भी जिस दुर्गतिको रोकनेमें अुत्तनी ही निकम्मी साबित होगी; क्योंकि जिस जिनकी स्थितिने अुसे पैदा किया, वह तो अुसमें भी कायम रहेगी।

जिससे प्रगट है कि यदि हम विश्व-शांति और स्वातंत्र्यकी अवस्थाका निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें सत्ताकी बजाय संस्कृति, भौतिक सुख-भोगकी बजाय पड़ोसियोंके लिये अुपयुक्त मीठे सामाजिक सम्बन्धोंकी स्थापनाकी कोशिश करनी चाहिये। और यह कोशिश हर जगह चलनी चाहिये—राष्ट्रीय तथा आन्तर-राष्ट्रीय क्षेत्रमें तथा प्रत्येक गांव और शहरमें। हमारी समस्या मूलमें नैतिक और आध्यात्मिक ही है। जिसलिये अुसका हल सत्ताके स्तर पर नहीं, संस्कृतिके ही स्तर पर खोजना होगा। विश्व-सरकारके आदेशोंसे यह काम नहीं बनेगा, अुसके लिये तो देश-देशमें सार्वत्रिक तौर पर ऐसी कोशिश करनी होगी। स्कूल, कालेज, चर्च, आदि संस्थाओंमें और प्रत्येक घरमें अुदार संस्कृतिकी स्निग्ध प्रभाव फैलना चाहिये, लोगोंमें सात्त्विक विचार और भावनाओंकी वृद्धि होनी चाहिये, समाजके काम-काजके व्यस्त जीवनमें औसाजी धर्मके सत्यका यानी प्रेमका प्रकाश प्रगट होना चाहिये।

पूर्वी देशोंके लिये, और अुन सभी देशोंके लिये, जिनका आर्थिक विकास बहुत कम हुआ है, जिस सूचनाका अर्थ कुछ अलग होगा। क्योंकि बड़े पैमाने पर चलनेवाले आधुनिक अुद्योगोंका वहाँ अभी बहुत मामूली-सा ही प्रवेश हुआ है। अुन्हें हमारी गलतियोंसे बचना चाहिये तथा अपने लिये अनुकूल हमारी अपेक्षा बेहतर पद्धतियोंके जरिये अुन मूल्यों और अुद्देश्योंकी सिद्धि करना चाहिये, जिनका खाका गांधीजी अपने रचनात्मक कार्यक्रममें पेश कर गये हैं। गांधीजीका अुद्देश्य व्यक्ति और समाज दोनोंका समग्र विकास साधना था। और जिसके लिये अुनका अुपाय यह था कि हर-अके व्यक्ति अपनी पसन्दके अनुसार सामाजिक दृष्टिसे कोजी अुपयोगी अुद्योग करे और ग्राम-समाज बड़ी हद तक स्वशासित तथा स्वयंपूर्ण हो—हर गांव अके ग्राम-राज्य हो। अगर पूर्व और अफ्रीकाके जिन प्रदेशोंका यह विशाल मानव-समुदाय भी पश्चिमी अुद्योगवादके रास्ते पर चल पड़े, अुसीके अुद्देश्य और साधन स्वीकार कर ले, तब तो दुनियाको जाने कैसी भयंकर कठिनाइयां भोगनी पड़ेंगी।

विश्व-समाजकी दिशामें हमारी प्रगतिको भौतिकवाद और सत्ताकी लालसाने ही रोक रखा है। राष्ट्रोंको चाहिये कि वे अुसकी कैदसे जल्दीसे जल्दी निकलें। यह काम आसान नहीं होगा, अुसके लिये बूढ़े कोशिश होनी चाहिये।

विश्व-समाजकी ओर बढ़नेका हमारा यह रास्ता स्वेच्छा-स्वीकृत होना चाहिये, क्योंकि जबरदस्तीसे सच्ची प्रगति कभी नहीं हो सकती—यह जबरदस्ती चाहे यूनोकी हो या किसी विश्व-सरकारकी। जिसके सिवा, शासनकी सत्तासे सम्पन्न विश्व-संस्थाके निर्माणसे बढ़कर कठिन चीज दूसरी नहीं है, अुसे असाध्य ही समझना चाहिये। लीग ऑफ नेशन्स और यूनो, दोनोंका इतिहास यह सिद्ध करता है कि कोजी भी राष्ट्र अपने सर्वाधिकारित्वको नहीं छोड़ना चाहता। जिन चीजोंका वे मूल्य करते हैं, अुनकी रक्षाके लिये यह अधिकार ही तो अुनका सबसे बड़ा साधन है।

विश्व-समाजका निर्माण धीरे-धीरे ही सम्भव होगा, सत्ताके या विश्व-सरकारके रास्तेसे नहीं। अुसके लिये हरअके राष्ट्रको स्वेच्छापूर्वक प्रयत्न करना होगा, सामुदायिक योजनाओंमें सहकार करना पड़ेगा, और दुनियाके जिन हिस्सोंको मददकी जरूरत है, अुनकी मदद करना पड़ेगी।

विश्व-सरकार सत्ताके बिना शासन नहीं कर सकती और यूनोका अनुभव बतलाता है कि ऐसी सत्ता अके तो हमारा अभीष्ट साधन कर नहीं सकती; दूसरे, वह जिस तरहकी विश्व-संस्थाको कभी मिलेगी भी नहीं।

हरिके देशके लोग अपने-अपने देशमें और आन्तरराष्ट्रीय व्यवहारमें पड़ोसियोंके योग्य सौहार्दपूर्ण सर्जक सम्बन्धोंका निर्माण करें, तो ही दुनियामें अेकता और शांति कायम हो सकती है; विश्वकी अेकता और शांतिका अवलम्ब अन्तमें अिसी बात पर है। यह काम लोगोंको अपनी-अपनी जगह शुरू करना चाहिये और फिर अुसका दुनियाभरमें विस्तार होना चाहिये। समाजकी मजबूती, राष्ट्रकी दृढ़ता और विश्वकी शांति, अिन सब अभीष्ट अुद्देश्योंका मूलस्रोत स्थानिक होता है। अगर सच्ची संस्कृतिकी अभिवृद्धि और विस्तारके जरिये हम अुन्हें विश्व-व्यापी बना सकें, तो वह विश्व-समाज, जिसकी हम स्थापना करना चाहते हैं, हमें अनायास प्राप्त हो-जायगा, क्योंकि मनुष्य-प्रकृति सर्वत्र अेक ही है और समान आध्यात्मिक नियमोंके अनुसार बढ़ती है।

स्वस्थ सामाजिक विकास हमेशा नीचेसे अूपरकी ओर होता है, अूपरसे नीचेकी ओर नहीं। अितिहास अिसकी पूरी गवाही देता है कि जहां समाजकी अिकाअियां छोटी होती हैं, और अुनके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकासकी जिम्मेदारी खूब बंदी हुअी होती है, वहां बुद्धि, ज्ञान और प्रतिभा चोटी तक जा पहुंचते हैं। अुनके सामाजिक नियम और संस्कृतिके हरअेक क्षेत्रमें अुनके कार्य सारे मनुष्य-समाजके विकासकी आवश्यकताओंके अनुकूल और कल्याणकारी होते हैं।

अिसलिये मैं जोरसे कहता हूं कि जिस आन्तरराष्ट्रीय रचनाके लिये आज हम निष्फल कोशिश कर रहे हैं, वह सत्ताके प्रयोगसे नहीं मिलेगी, अूपरसे नहीं आयगी; वह बेहतर संस्कृतिके प्रसारसे, लोगोंके वैयक्तिक और सामाजिक व्यवहारके परिष्कारसे आयगी। बड़े-बड़े राज्यों या गुटबन्धियोंसे नहीं, अुन राष्ट्रोंकी कोशिशसे हासिल होगी, जो अपनी सत्ता दूर तक फैली हुअी अैसी छोटी-छोटी अिकाअियोंमें बांट देते हैं, जो आध्यात्मिक संस्कृतिके रससे पुष्ट हुअी हैं, जिन्होंने जीवनकी कला सीखी है और मनुष्यके स्वभाव तथा शांति और संतोषके सच्चे अुद्गमको जाना-पहचाना है। अैसी हर चीज, जिससे वैयक्तिक और स्थानीय जिम्मेदारीका क्षेत्र बढ़ता हो, सर्जक जीवन-पद्धति और स्थानीय स्वावलम्बनको प्रोत्साहन मिलता हो, दुनियामें शांतिकी स्थापनामें सहायक होगी।

(अंग्रेजीसे)

विल्फ्रेड वेलांक

जमीनका मसला जरूर हल होगा

हम चाहते हैं कि जिस प्रकार बारिश बूंद-बूंद होती है, अैसी प्रकार भूदान-यज्ञ, सम्पत्ति-दान-यज्ञ और धर्म-दान-यज्ञमें बूंद-बूंद दान मिले, लेकिन हर मनुष्यसे मिले, तो अितना बड़ा काम शीघ्र हो जायगा। कुछ लोग शंका करते हैं कि क्या अिस प्रकार दान देनेकी वृत्ति सबकी होगी? मैं कहता हूं, क्यों नहीं होगी? मानव वह है जो मनन करता है, विचारको समझता है और विचार पर ही जिसका जीवन चलता है। हम अगर सत्य विचार सबको समझायें, तो किसीको दानकी प्रेरणा क्यों नहीं मिलेगी? मनुष्यमें क्या-क्या शक्ति छिपी रहती है, अुसका अन्दाजा हमें पूरा-पूरा नहीं हुआ है। अिसीलिये अैसी शंका अुठती है। लेकिन ज्यों-ज्यों आत्माका संशोधन होगा, त्यों-त्यों मानवकी अेक-अेक शक्तिका आविर्भाव हमारे सामने होगा। अुसीको कहते हैं अवतार। अवतारके मानी हैं मानवके हृदयकी शक्तिका आविर्भाव होना। जहां सत्यनिष्ठा प्रकट हो गयी, वहां अुसने रामचन्द्रका रूप लिया। जहां निष्काम कर्मयोग प्रकट हुआ, वहां श्रीकृष्णका रूप लिया। जहां करुणा मूर्तिमती हुअी, वहां हमने बुद्धको अवतार माना। वास्तवमें राम, कृष्ण या बुद्ध अवतार नहीं थे। सत्यनिष्ठा, निष्काम कर्मयोग और भूतदयाका वहां आविर्भाव हुआ था। जहां अैसी मानवताकी शक्ति प्रकट हुअी

वहां अवतार हुआ। फिर मूर्तिपूजाका मनुष्यने अुसमें आरोपण किया। अुससे अुपासनाकी सुलभता हुअी। लेकिन अवतार शरीरका नहीं, मानव-हृदयकी भावनाका होता है। जैसे-जैसे आध्यात्मिक संशोधन होता गया, वैसे-वैसे अुत्तरोत्तर श्रेष्ठ अवतार पैदा हुअे। वही समाजके विकासकी प्रक्रिया है।

यह मानना कि मानव आत्मामें आज तक जितनी शक्ति प्रकट हुअी है अुतनी ही रहेगी, संकुचितताका लक्षण है। अज्ञानका लक्षण है। आत्मामें अनन्त शक्ति होती है। ज्यों-ज्यों परिस्थिति पैदा होती है और आवश्यकता तथा मांग पैदा होती है, वैसे-वैसे अुसकी शोष होती है।

जब हिन्दुस्तानमें अंग्रेज लोग आये थे और अुन्होंने अपनी हुकूमत कायम की, तब अेक चमत्कार अुन्होंने कर दिखाया। सारे देशको अुन्होंने निःशस्त्र कर दिया। तब देशके सामने अेक समस्या अुत्पन्न हुअी कि या तो सारे देशको हमेशाके लिये गुलामीमें रहना है या अैसी शक्तिका आविष्कार करना है, जो बिना शस्त्रके संकटका सामना कर सके। परिस्थितिमें जब अैसी आवश्यकता निर्माण हुअी तो अहिंसक प्रतिकार और सत्याग्रहका आविष्कार हुआ। अुसके निमित्त-मात्र महात्मा गांधी बने। अिस शक्तिका आविष्कार होना ही था। क्योंकि परिस्थिति और जमानेकी वह मांग थी। लोगोंने देखा कि अहिंसामें अेक बड़ी शक्ति है, जिस शक्तिसे अितनी बड़ी सलतनतका मुकाबला हुआ और वह सत्ता छोड़कर चली गयी। अुससे बड़ा चमत्कार यह हुआ कि जो जालिम थे और जो मजलूम थे, अुनमें प्रेमका नाता कायम हुआ। जालिम जालिम न रहा, मजलूम मजलूम न रहा। और दोनों दोस्त बने। स्वराज्यके लिये प्रयत्न बहुत हुअे, परन्तु हिन्दुस्तानके लिये यह आविष्कार विशेष था। क्योंकि अिसमें मानव हृदयकी नयी शक्तिका आविर्भाव हुआ।

अब स्वराज्यके बाद हिन्दुस्तानमें आर्थिक आजादी, गरीबीका निवारण और साम्ययोगकी स्थापनाका कार्य प्रस्तुत हुआ है। अिसलिये आर्थिक क्षेत्रमें भी अुस शक्तिका आविष्कार होना चाहिये, और वह हो रहा है अिसमें कोअी सन्देह नहीं।

हम समझते हैं कि यदि लोगोंसे पूछा जाय कि क्या कानूनसे यह मसला हल होगा, तो वे कहेंगे कि "हां, कानूनसे मसला हल हो सकता है।" लेकिन मैं पूछता हूं कि कानून क्या है? कानून यानी लोगोंकी अिच्छा-शक्ति, जो अुनके चुने हुअे नुमाअिन्दोंके जरिये प्रगट होती है। अगर लोग अिस तरह कानूनके वश हो सकते हैं, जो अुन्हींका बनाया हुआ होता है, तो वे परमेश्वरके कानूनके वश क्यों नहीं होंगे, जो कि प्रेमका कानून है और जिसका जीवनमें हमें अनुभव आता है? मनुष्यकी पैदाअिष प्रेमसे हुअी है। प्रेमसे अुसका पालन होता है, और अाखिरके मीके पर भी प्रेमका प्यासा प्रेम पाकर प्रसन्न हो जाता है। अगर अिस तरह जीवनका आदि, मध्य और अन्त प्रेम पर ही निर्भर है और वही अुसे स्वादु होता है, तो हम पूछते हैं कि यदि मातायें बिना कानूनके बच्चेको दूध पिलाती हैं, और अितने सारे लोग बिना कानूनके प्रेमका जीवन बिताते हैं, तो अुसी प्रेमका अेक रूप अपने गरीब भाअियोंके लिये सम्पत्ति और भूदान-यज्ञमें हुकके तौर पर और धर्म समझकर, बिना कानूनके देना अुन्हें क्यों नहीं सूझेगा? अिस प्रश्नका अुत्तर हमें कोअी नहीं दे रहा है। हम मानते हैं कि अगर कानूनसे काम हो सकता है, जो कि मनुष्यकी परोक्ष अिच्छा है, तो प्रत्यक्ष अिच्छासे तो ज्यादा बनना चाहिये, फौरन बनना चाहिये, आसानीसे बनना चाहिये और सुन्दर बनना चाहिये। अिस मूलभूत श्रद्धाको रखकर काम करनेवालोंके लिये कोअी शंका नहीं अुठती। हम मानते हैं कि अैसा विश्वास अगर हम समाजको करा दें तो समाज फौरन समझेगा। वह चीज अुसकी आत्मामें

भरी हुई है। अगर वह आत्माके स्वभावके विरुद्ध होगी तो वह जबरदस्तीसे भी नहीं समझेगा, और कल्लसे भी नहीं समझेगा। पर जब कि एक वस्तु ऐसी की जा रही है जो आत्माके स्वभावमें है, प्रकृतिके अत्यन्त अनुकूल है, तो केवल समझानेकी जरूरत है। समझाने पर यह काम हो जायेगा। इसी श्रद्धासे हम आपके पास पहुंचे हैं। खुशीकी बात है कि लोग दे रहे हैं। जितना दिया है अतनेकी आशा अतने अल्प समयमें नहीं की जा सकती थी।

आप सब लोगोंके सहयोगसे, ओश्वरके आशीर्वादसे और प्रकृतिके नियमसे १९५७ तक यह मसला हल होकर रहेगा।*

पाकिस्तानका संविधान

यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि काफी लम्बा अरसा बीत जानेके बाद पाकिस्तानके संविधानकी रचनाका काम फिरसे शुरू हुआ है और उसके कठिन और पेचीदा सवालको हल करनेकी कोशिश हो रही है। ५ अक्टूबरकी कराचीकी एक रिपोर्टमें कहा गया है कि मुस्लिम लीग असेम्बली पार्टीने एक रायसे संविधानके मुख्य बुनियादी सिद्धान्तोंको मान लिया है और यह फैसला किया है कि पाकिस्तानके फेडरेशनकी दो गृहवाली धारासभा और पांच अिकास्त्रियां होंगी: १. उत्तरी पश्चिमी सीमाप्रान्त, सीमाप्रदेशकी रियासतें और कबायली प्रदेश, २. पश्चिम पंजाब, ३. सिन्ध और खैरपुर, ४. बलूचिस्तान और अुसकी रियासतें, बहावलपुर और कराची, तथा ५. पूर्वी बंगाल। विवादास्पद प्रश्न यह था कि पाकिस्तानके दो भागों—पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान—में सन्तुलन कैसे कायम किया जाय। पाकिस्तानके प्रधानमंत्रीने यह घोषणा की है कि यह पेचीदा सवाल सन्तोषप्रद रूपमें हल कर लिया गया है और वह संविधान-सभाके अगले अधिवेशनमें अुसकी विधिवत् स्वीकृतिके लिये पेश किया जायगा। बेशक, यह श्री मोहम्मदअलीको अपने कार्यकालमें दूसरी महत्वपूर्ण सिद्धि मिली है—पहली सिद्धि काश्मीर-समस्याके बारेमें भारतके साथ हुये अुनके समझौतेसे सम्बन्ध रखती है। संविधान-सम्बन्धी पेचीदा सवालके हलके गुण-दोषोंमें जाना हमारा काम नहीं है; हमें तो इसी बातकी खुशी है कि वह सवाल किसी तरह हल हो गया।

ऐसा मालूम हुआ है कि पाकिस्तानका राज्य इस्लामी राज्य होगा—यानी वह कुरानके सिद्धान्तोंके अनुसार काम करेगा। यह भी अपने आपमें बड़ी अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तानके नेताओं द्वारा बार-बार दुनियाके सामने यह दोहराया गया है कि कुरान अुदार लोकशाही व्यवस्थाका हिमायती है। सवाल सिर्फ यही है कि कुरानका अर्थ कौन करेगा और किस तरह करेगा। क्या अुसका अर्थ लोकशाहीके सिद्धान्तोंके अनुसार ही किया जायगा और अुसी तरह वह देशके कानूनका आधार बनाया जायगा? सवालका यह पहलू आज भी बहुस और झगड़ेका विषय बना हुआ है। हमें आशा है कि संविधानमें यह चीज खास करके गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक जातियोंके खातिर सन्तोषप्रद ढंगसे स्पष्ट कर दी जायगी कि पाकिस्तान सिर्फ अुनकी देखभाल और रक्षा ही नहीं करेगा, बल्कि जिस बातका भी ध्यान रखेगा कि वे भी सच्चे पाकिस्तानी नागरिकोंके नाते अुतनी ही आजादी अनुभव करें, अुन्हें भी अपना पूर्ण विकास करनेके समान अवसर मिलें और न्यायकी दृष्टिमें वे समान समझे जायें। इसके लिये यह निहायत जरूरी है कि अिन अल्पसंख्यक जातियों और ऐसी राजनीतिक पार्टियोंको, जिनके विचार सत्ता-

* खादीग्राम, जंमूमी, में ता० ४-९-५३ को दिये हुये भाषणसे।

रूढ़ पार्टीके विचारोंसे नहीं मिलते, काम करनेकी स्वतंत्रता दी जाय ताकि वे अपनी आवाज सुना सकें। खास तौर पर अब पाकिस्तानके प्रधानमंत्रीको चाहिये कि वे महान खान-बन्धुओं और अुनके साथियोंको नजरबन्दीसे रिहा कर दें, ताकि वे अपने देश-बन्धुओंको ऐसे अैतिहासिक महत्वके अवसर पर अपनी सलाहका लाभ दे सकें। हम आशा करें कि पाकिस्तानके प्रधानमंत्री यह यश भी प्राप्त करेंगे, ताकि हमारा पड़ोसी राष्ट्र अपने लिये एक स्वतंत्र और सर्वसम्मत संविधान बना सके।

९-१०-५३

(अंग्रेजीसे)

मगनभायी देसायी

भूमि और जनसंख्या

१९ वीं शताब्दीके बाद अब तक (१९५१) विश्वकी जनसंख्यामें १६५ प्रतिशत वृद्धि हुई है।

आज विश्वकी जनसंख्या करीब २५१ करोड़ है।

१९४१ और १९५१ की मर्दुमशुमारी परसे ऐसा कह सकते हैं कि विश्वकी जनसंख्यामें प्रति दस मिनट ३२६ की वृद्धि होती है। प्रति दिन ४६९४४ की वृद्धि होती है।

विश्वकी जमीन चार प्रकारोंमें बांटी जा सकती है—(१) समतल भूमि ४१%, (२) पठार ३३%, (३) असम भूमि १४%, और (४) पर्वत १२%।

विश्वकी कुल भूमि ३२६० करोड़ एकड़ है, जिसमें से केवल ७.७ प्रतिशत जमीनमें काश्त की जाती है। कुल काश्त की जानेवाली जमीन २५०,५६,०७,००० एकड़ है।

हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रति मनुष्य विश्वमें एक एकड़ अुपजाऊ जमीन पड़ती है।

भिन्न-भिन्न देशोंमें अुपजाऊ जमीन निम्न प्रमाणमें है:

| देश | प्रतिशत | देश | प्रतिशत |
|--------|---------|-----------|---------|
| अमरीका | १८.२ | अर्जेटिना | ३.९ |
| रशिया | १६.८ | केनाडा | ३.५ |
| भारत | १२.२ | अन्य देश | ३८.२ |
| चीन | ७.२ | | |

कुल १००.०

भिन्न-भिन्न देशोंमें फी व्यक्ति जमीनका बंटवारा

| देश | एकड़ | देश | एकड़ |
|--------|------|------|------|
| केनाडा | ६.५ | भारत | ०.८३ |
| अमरीका | ३.० | चीन | ०.३९ |

आर० जी० हेन्सवर्थ

(‘फॉरेन अेप्रिकल्चर’ से अुद्धृत)

| विषय-सूची | पृष्ठ |
|--|----------------------|
| सत्याग्रह आश्रमका स्मारक | मगनभायी देसायी २५७ |
| अनिवार्य टीकेके सौ वर्ष | सोराबजी मिस्त्री २५९ |
| अविवेककी पराकाष्ठा | परशुराम शर्मा २५९ |
| भारतके नकशेकी पुनर्रचना | जवाहरलाल नेहरू २६० |
| विश्व-सरकारकी स्थापना समस्याका हल नहीं | विल्फ्रेड वेलेक २६२ |
| जमीनका मसला जरूर हल होगा | विनोबा २६३ |
| पाकिस्तानका संविधान | मगनभायी देसायी २६४ |
| टिप्पणियां: | |

अ० भा० नजी तालीम सम्मेलन

भूमि और जनसंख्या

आर० जी० हेन्सवर्थ २६४